फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

केस संख्या 5/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने जवाब प्रा.पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश की। जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई जाकर प्राप्ति लिया गया। वकील उभय पक्षों की बहस प्रारम्भिक आपत्ति व प्रा.पत्र धारा 251 ए पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02/05/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ
	2/5/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। अतः प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज की जाती है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज उद्घोषित किया गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] होकर रजिस्टर से खारिज कर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(43)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

विशेष कि

ासल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
।/2023	19/05/2023	02/05/2024

–उनवान–

म पुत्र श्रवण जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।
ुत्र गेन्दा जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
ा पुत्र कल्याण सहाय जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
ा पुत्र रामकिशोर जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
द पुत्र श्रवण जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
देवी पत्नी किशोर जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

पुत्र जीवन ज जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
पुत्र जीवन जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
 पुत्र जीवन जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
ुत्र जीवन जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
देवी पत्नी शंकर जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
पुत्री छीतर
पुत्र छीतर
पुत्र छीतर
श पुत्र छीतर
पुत्री छीतर
जाति मीणा, निवासीयान ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
लदार, आंधी, जिला जयपुर।
ी हल्का माथासूला, तह0 आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ात अभिभाषक
जेश कुमार वर्मा – वकील प्रार्थीगण।
ोन्द्र शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सूला तहसील आंधी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.1000है0 है जो राजस्व रिकार्ड न्दी में कमली पुत्री गेन्दी, केशन्ता पुत्री रामकिशोर, प्रार्थी सं0 1 कालूराम पुत्र श्रवण, गिरधारी पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(213)

ाण, छोटूराम पुत्र कल्याण, ज्ञानचन्द पुत्र श्रवण, तीजा पुत्री गेन्दा, धोली पुत्री श्रवण, बाबूलाल पुत्र कल्याण, ावती पत्नी श्रवण, भगवान सहाय पुत्र श्रवण मनिष पुत्र रामकिशोर, ममता पुत्री कल्याण, रेशमा पुत्री ल्याण, राजू पुत्री कल्याण, रामकेश पुत्र रामकिशोर, रामचन्द्र पुत्र माग्या, रोहित पुत्र कल्याण, लक्ष्मा देवी ी रामकिशोर, लक्ष्मा पत्नी श्रवण, लोकेश पुत्र श्रवण, शंकर पुत्र गेन्दा, सन्तोष पुत्र श्रवण, सीमा पुत्री ल्याण का राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी अनुसार हिस्सा कायम है तथा खातेदार काश्तकार है। तथा ग्राम ासूला तहसील आंधी जिला जयपुर मे ही खसरानम्बर 922 में लक्ष्मीदेवी पत्नी रामकिशोर का हिस्सा ेत. है। प्रार्थी व उसके उक्त वर्णित सहखातेदार की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के पास ही र्थी/प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के पास ही अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि स्थित है। जो ीगण व उसके परिवार जन से रंजिश रखते है जिसके चलते ये लोग आये दिन प्रार्थीगण को परेशान ो है एवं प्रार्थीगण की अन्य भूमि पर कब्जा करने के इरादे से प्रार्थीगण पर नाजायज दबाव डालते है एवं ीगण के साथ आये दिन झगडा करते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 921 22 में आने जाने का कोई रिकार्ड अनुसार रास्ता नही है अभी तक प्रार्थीगण पडौसी खातेदारी जो कि ण में अप्रार्थीगण है की सहमति से उनके खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 932, 934, 930 स्थित ग्राम ूला तहसील आंधी वाली भूमि में बने वर्षो पुराने रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में आ जा रहे है, उक्त व अप्रार्थीगण की भूमि व वर्षो से बने रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शें में स्पष्ट कर रखा है नक्शे को प्रार्थीगण की भूमि को पीले रंग से अप्रार्थीगण की भूमि का गुलाबी रंग से तथा रास्ते को हरे से दर्शा रखा है। प्रार्थीगण के साथ साथ आस–पास के समस्त खातेदारान आपसी सहमति के अनुसार से उक्त नक्शें में हरे रंग से दर्शा रखे रास्ते से अपने खेतो में से आ जा रहे है। खसरा नम्बर 932, 934 30 अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात प्रतिवादीगण के हक अधिकार की भूमि इसी खसरा नम्बरान से चीर कालीन रास्ता निकलता है जिससे से होकर प्रार्थीगण व आस–पास के दार व ग्रामीण आते –जाते है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ते से होकर उक्त खसरा नम्बरान से होकर खसरा र 929 व 924 जो आबादी भूमि है तक जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ा सडक से खसरा नम्बर 932, 934 व 930 स्थित ग्राम माथासूला तहसील आंधी से गुजरने वाले चीर ीन रास्ता जो रास्ता खसरा नम्बर 921, 922,923 के पास से गुजरता हुआ आबादी भूमि खसरा नम्बर व 929 तक जाता है उस रास्ते की नाम जितना चौडा रास्ता दिलवाया जाकर कानून के अनुसार स्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकन किया जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये ास्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने ालतनामा पेश किया व दिनांक 29.04.24 को जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति एवं दस्तावेज सूची के साथ किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 (पैरोकार सरकार) ने अपने ांक/आरटी/2023/705 दिनांक 02.08.23 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मुताबिक ास्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी ग्राम माथासूला के खसरा नम्बर 921 रकबा0.10है0 किस्म चाही ए तथा खसरा बर 922 रकाब 0.14है0, किस्म चाही ए खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक नक्शा व कार्ड के खसरा नम्बर 921 व 922 में पहुच हेतु राजस्व रिकार्ड म दर्ज रास्ता नही है। मुताबिक प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार प्रार्थीगण खसरा नम्बर 932 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 0.0048है0 2X4), खसरा नम्बर 934 रकबा 0.34है0 में से रकबा 0.0148 (37X4), खसरा नम्बर 930 रकबा 0.20है0 में रकबा 0.0224 (56X4) गै0मु0रास्ता दर्ज करवाकर खसरा नम्बर 921, 922 तक रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज रवाकर रास्ता प्राप्त कना चाहते है। जिसे शामिल मिसल किया गया। शेष अप्रार्थी सं0 7 लगायत 11 नुपस्थित। दिनांक 29.04.24 को इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन पस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। कील उभय पक्षों की प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र धारा 251 की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित न्दूओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 921 व 922 आने जाने के लिए मौके पर विद्यमान व वर्षो से प्रचलित गै0मु0रास्ता (डामर सडक) खसरा नम्बर 177 से ोकर खसरा नम्बर 892, 895 गै0मु0रास्ता में से गुजरता हुआ ग्राम की आबादी भूमि खसरा नम्बर 899, 924, 29 में निर्मित सी0सी0रोड से होकर खसरा नम्बर 923 की सीमा तक सी0सी0/ग्रेवल रोड निर्मित होकर िद्यमान है। खसरा नम्बर 899, 927 व 929 में मौके पर सी0सी0 रोड चालू होने का प्रमाण पत्र ग्राम ंचायत द्वारा अपनी मुद्रां व हस्ताक्षर से जारी किया हुआ है। जिसमे से होकर प्रार्थीगण मौके पर विद्यमान ास्ते का अपने आवागमन में उपयोग उपभोग करते हुए अपनी खातेदारी भूमि तक खसरा नम्बर 923 में से ावागमन कर रहे है। आबादी भूमि खसरा नम्बर 899, 924, 929 तक डामर व सी0सी0 सडक मार्ग खसरा म्बर 892, 985 में विद्यमान होकर कदीमीम चालु है। प्रार्थीगण के द्वारा आबादी भूमि खसरा नम्बर 924, 929 ें निर्मित सी0सी0रोड से होकर खसरा नम्बर 923 मे से रास्ते की मांग की जानी चाहिए थी। जो कि ार्थीगण का सबसे निकटतम व मौके पर विद्यमान चालु रारता है।

बहस वकील उभय पक्षों की व पैरोकार सरकार की सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के प्रा0 आपत्ति अवलोकन किया गया। प्रा0 आपत्ति को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली में उपलब्ध

उप खण्ड अधिकारी

गण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अप्रार्थीगण
वाब व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
ति धारा 251–एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश
जाते हैं कि ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की
भूमि खसरा नम्बर 921 व 922 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए रास्ता मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर
कबा 0.05 है0 में से रकबा 0.0048है0 (12X4), खसरा नम्बर 934 रकबा 0.34है0 में से रकबा 0.0148है0
, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.20है0 में से रकबा 0.0224है0 (56X4) भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय
ला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व
ं प्रभावित खसरों में एक तरफ तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 से दोगुना राशि
ा से वसूल कर हिस्से अनुसार अप्रार्थीगणों को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थीगणों के राजस्व नक्शे मे
नक्शे अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न
क्शें में लाल स्याही से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर
से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.05.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ